(v) रेलगाड़ियों में समुचित डाक डिब्बों (मेल वैनों) का प्रबंध न करना ।

(vi) चलती रेलगाड़ियों में स्टाफ की अनुपस्थिति ।

(vii) जंक्शनों पर प्रायः रेलगाड़ियों का मेल न होना ।

(ग) डाक का शीघ्र निपटान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) डाकघरों में डाक की छंटाई शुरू की गई है ।

(ii) छंटाई पद्धति काफी सरल बना दी गई है, जैसे जिलावार और राज्यवार ।

(iii) राज्यों की डाक सर्किल एकत्रीकरण केन्द्रों में और जिलों की डाक जिला एकत्रीकरण केन्द्रों में एकत्र की जाती है । दूरस्थ सर्किलों की डाक हवाई मार्ग से ले जाई जाती है ।

(iv) राज्य के अन्दर और राज्य से बाहर जाने वाली डाक के लिए सुपरफास्ट रेलगाड़ियों/बसों का प्रयोग किया जाता है ।

(घ) और (ङ) विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार जिला के अंदर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला पत्र डाक में डालने के दिन के अगले दिन वितरित होना चाहिए ; एक ही राज्य के अंदर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला पत्र डाक में डालने के दिन के दूसरे/तीसरे दिन विपरीत होना चाहिए और किसी अन्य राज्य में स्थित गंतव्य स्थान तक पहुंचने वाला पत्र डाक में डालने के दिन से 4 दिनों की अवधि के भीतर वितरित होना चाहिए ।

दिल्ली से लखनऊ को भेजा जाने वाला पत्र डाक में डालने की तिथि से 2 दिनों के भीतर वितरित हो जाना चाहिए ।

डाक का शीघ्र प्रेषण करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं ।

Recasting the seniority in T.E.S. Group B Officers

713. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there had been any judgements delivered by the different Benches of Central Administrative Tribunal directing the Department of Telecommunications to recast the seniority in T.E.S. Group 'B' and extend all other consequential benefits to the applicants ; and

(b) if so, what are the reasons for which the entire seniority list is not being recast and other consequential benefits decided to avoid further litigations by the individuals and save national exchequer ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) The decisions of the Hon'ble Central Administrative Tribunals are being implemented in respect of the petitioners and all others similarly placed offices for which time has been granted by Tribunals up to the 31st August, 1992.

shifting of the Headquarters of C.G.M. Telecom from Ambala to Punjab

714. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government as a policy, operate the headquarters of the C.G.Ms. Telecom Circles in the respective territorial jurisdiction of the concerned Telecom Circle ;

(b) if so, what are the reasons that the headquarter of CGM, Punjab Telecom Circle, is not being shifted from Ambala to Punjab ; and

(c) whether there is any proposal under Government's consideration to shift the same and by when it is likely to be done ?